न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक :02.02.2021

अपील संख्या 2021/10

उनवान

ललताबाई पत्नि श्री दीनदयाल, जाति धाकड, निवासी बमोरी कलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0
.... अपीलांटगण

बनाम

1– अनिता बाई पत्नि श्री नन्दकिशोर, जाति धाकड, निवासी बमोरी कलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0
2– महेश पुत्र श्री जीवनलाल, जाति धाकड, निवासी बमोरी कलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0
3– मदन मोहन पुत्र श्री भैरूलाल, जाति धाकड, निवासी बमोरी कलां, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज0
4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां राज0
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी. एल. जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 22.02.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 19/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया रेस्पोडेंट नं. 1 अनिता बाई ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बमोरीकलां, तहसील मांगरोल, में खाता संख्या 531 खसरा नं. 1441/2539 रकबा 0.80 हेक्टर आराजी किस्म नहरी । स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 21.06.2018 से वादिया अनिता बाई पत्नि नंदकिशोर जाति धाकड निवासी बमोरीकला के खाते में खसरा नं0 1441/2539 रकबा 0.40 हेक्टर दक्षिणी किस्म नहरी प्रथम लगान रू0 12.80/– दर्ज की जावे व ललता बाई पत्नि दीनदयाल हिस्सा 3/5 महेश कुमार पुत्र जीवनलाल हिस्सा 1/5 मदनमोहन पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/5 जाति धाकड निवासी बमोरीकला के खाते में खसरा न० 1441/2539 रकबा 0.40 हेक्टर उत्तरी किस्म नहरी लगान रू0 12.25/– दर्ज की जावें। उक्तानुसार आराजी पृथक–पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तदनुसार तहसीलदार मांगरोल राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं अन्तिम डिक्री पारित की है उसके बाबत दिनांक 30.05.2017 को रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया है तथा अग्रिम पेशी दिनांक 21.06.2017 दी गई। दिनांक 21.06.2017 को पत्रावली पुनः अपीलान्ट की तलवी में डाल दी गई व पेशी दिनांक 24.08.2017 दी गई तथा इसी प्रकार दिनांक 24.08.2017 से दिनांक 27.10.2017, 21.12.2017, 22.02.2018 तथा दिनांक 23.04.18 पेशी दी गई। तब तक पत्रावली अपीलान्ट की तलबी में चलती रही। दिनांक 23.04.2018 को जो आदेशिका लिखी गई

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उसमें यह लिखा गया "पत्रावली पेश हुई, वादी उपस्थित पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादी हो चुकी है। दिनांक 28.05.2018 को पेश हो। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते वादी नियत तिथि को पेश हो। यह आदेशिका देखने से स्पष्ट है कि इसमें अपीलान्ट की कहीं भी इत्तला नहीं हुई तथा जो सम्मन विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये जारी किया गया है यह अपीलान्ट के नाम दिनांक 30.05.2017 को जारी किया गया है. जिसमें दिनांक 21.06.2017 केम्प बमोरी कलां की तारीख दी है, इस सम्मन की पुस्त पर यह रिपोर्ट है कि खुले मकान पर एक प्रति चस्पा की तथा दिनांक 21.06.2017 को पत्रावली केम्प बमोरी में पेश नहीं हुई। दिनांक 21.06.2017 को पत्रावली केम्प बमोरी में पेश होने का कोई नोट नहीं है। इस प्रकार बिना अपीलान्ट को सुने एकतरफा डिक्री पारित कर दी गई तथा दिनांक 23.04.2018 की आदेशिका में भी कांटा फांसी हो रही है तथा पीठासीन अधिकारी के दो जगह साईन हो रहे है, इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में कार्यालय द्वारा यह गड़बड़झाला किया गया है, इस प्रकार अपीलान्ट को धोखे में रखकर डिक्री पारित करवा ली गई है जो निरस्त होने योग्य है। दिनांक 21.06.2018 को अन्तिम डिक्री पारित की गई तथा तहसीलदार मांगरोल द्वारा बंटवारा प्रस्ताव का हवाला दिया गया। जबकि तहसीलदार मांगरोल द्वारा जो बंटवारा प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें तहसीलदार के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है और इस बंटवारा स्कीम पर अपीलान्ट के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व नियम 8 से 18 की पालना नहीं की है तथा बंटवारा स्कीम पर आपत्ति पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा जो बंटवारा प्रस्ताव भेजा गया है, उस पर मात्र अनिता बाई का अंगुठा है। जबकि मौके पर जिस प्रकार पक्षकारान काबिज है, उस प्रकार बंटवारा स्कीम नहीं की गई है यह स्थिति मौके पर काबिज कौन पक्षकार कहां पर काबिज है, यह स्थिति अपीलान्ट के उपस्थित होने पर ही पता लग सकती थी। किन्तु अपीलान्ट को आपत्ति पेश करने का अवसर न देकर उसके साथ भारी अन्याय किया गया है। इस कारण अन्तिम डिक्री निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 21.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल प्रकरण संख्या 19/2017 बउनवान अनिता बाई बनाम ललता बाई वगैरह दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट निरस्त फरमायी जायें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट की जवाबदेही के लिये रिमाण्ड किया जाये ताकि अपीलान्ट अपनी जवाबदेही देकर अपना पक्ष रख सके।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.01.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल की आदेशिका दिनांक 23.04.2018 काट–छाट का अंकन है पहले तो पत्रावली प्रतिवादी की तलवी में चल रही थी बाद में उसको काट–छाट कर प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना अनुपस्थित, प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि हमें सुने बिना ही हमारे विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान योग्य अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल की आदेशिका में काट–छाट का अंकन दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध सम्मनों का अवलाकेन करने पर पाया गया कि प्रतिवादी क्रम 3 मदनमोहन के सम्मन पर प्रार्थी का शादी में जाना बताया गया तथा सम्मन की एक प्रति देवीशंकर ग्राम प्रत्याशी को देकर करवायी गई, यह रिपोर्ट अंकित है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 दोनों के सम्मन नोटिस पर तामीलकर्ता द्वारा यह अंकन है कि सम्मन की एक प्रति प्रतिवादी के खुले मकान पर चस्पा की गई। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 दोनों के सम्मन पर तामीलकुलिंदा एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है। परंतु गवाहों के नाम व पते का अंकन नहीं किया गया है। रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं किया गया कि तामील प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पर क्यों नहीं हो सकी ? और किन परिस्थितियों में मकान पर चस्पा की गयी। सी पी सी के आदेश–5 नियम–17 के तहत यदि सम्मन की तामील स्वंय प्रतिवादीगण पर नहीं करके उसके मकान पर चस्पा की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में तामील कुलिंदा मकान के बाहरी द्वार पर या अन्य किसी सदृश्य भाग पर सम्मन की एक प्रति चस्पा करेगा और मूल प्रति ऐसी रिपोर्ट के साथ जिससे यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें उसने ऐसा किया कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम व पता अंकित होगा जिसने मकान को पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में मकान पर प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा जिसने सम्मन जारी किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मनों के अवलोकन से सी पी सी के ऑर्डर 5 नियम 17 की पालना नहीं होना पाया गया। सम्मन तामील के अभाव में प्रतिवादी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार दूसरे पक्ष को सुनवायी का अवसर देना आवश्यक है। दूसरे पक्ष को सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को वैधानिक नहीं माना जा सकता। चाहे वह निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार सही ही क्यों न हो, दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सी. पी. सी के आदेश 5 के प्रावधानों के अनुसार सम्मन की तामील कराते हुए, साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के न्यायालय में दिनांक 04.04.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/04/24

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा